


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, धनबाद ।

(पंचायत शाखा )

-: शुद्धि -पत्र :-

विभागीय अधिसूचना संख्या 395/पं0 राँची, दिनांक 19.2.2021 सहपठित ज्ञापांक 395 दिनांक 19.2.2021 निदेशक-सह-संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग(पंचायती राज)झारखण्ड, राँची के आलोक में 15वें वित्त आयोग अनुदान अन्तर्गत पंचायतों में कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक -सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में सेवा प्राप्त करने तथा जिला स्तरीय पैनल में चयन हेतु संविदा आधारित नियुक्ति के लिए विज्ञापन संख्या:-1/ 2021 के द्वारा आवेदन प्राप्त करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था ।

उक्त विज्ञापन के आलोक में सरकार के उप सचिव, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1408 दिनांक 5.8.2021 के द्वारा प्राप्त निदेश तथा अधिसूचना संख्या 395/पं0 राँची, दिनांक 19.2.2021 के अनुरूप मार्च, 2021 में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1 में आंशिक संशोधन किया जाता है । संशोधन यह है कि संविदा आधारित नियुक्ति के स्थान पर संशोधन कर सेवा अनुबंध आधारित नियुक्ति पढ़ा जाय ।  
इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय तथा शेष सभी शर्तें यथावत रहेगी ।

  
4/3/21  
उपायुक्त,  
धनबाद